रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 286] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 1975/आश्विन 24, 1897
No. 286] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 1975/ASVINA 24, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 16th October 1975

G.S.R. 522(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts aluminium in any form, falling under Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and

(i) required by the Central Government to be supplied, as levy aluminium in pursuance of the Aluminium (Control) Order, 1970, as in force for the time being, read with the notifications and orders issued thereunder; or

(ii) manufactured by any person out of aluminium of any other form that has been supplied, in pursuance of the Order referred to in clause (i), as levy aluminium,

from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of thirteen per cent. *ad valorem*, subject to the conditions that

(a) such aluminium is intended for use in the manufacture of cables or conductors, or both;

(b) the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944 is followed; and

(c) the said cables or conductors are intended for supply to a State Electricity Board and it is proved to the satisfaction of the proper officer of Central Excise that the said cables or conductors have been so supplied.

[No. 217/75]

K. NARASIMHAN, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1975

सा० का० नि० 522 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 27 के अन्तर्गत आने वाले एल्युमिनियम को चाहे वह किसी भी रूप में हो, तथा

(i) जिसकी, तत्समय यथाप्रवृत्त एल्युमिनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 और उसके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं और जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में, लेवी एल्युमिनियम के रूप में प्रदाय किए जाने की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई हो, अथवा

(ii) जो खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट आदेश के अनुसरण में लेवी एल्युमिनियम के रूप में प्रदाय किए गए किसी अन्य रूप वाले एल्युमिनियम में से किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्मित किया गया हो,

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना मूल्यानुसार तेरह प्रतिशत से आधिक्य में हो :

(क) ऐसा एल्युमिनियम केबिल या कंडक्टर, या दोनों, के विनिर्माण में प्रयोग के लिए आशयित है ;

(ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ; और

(ग) उक्त केबिल या कंडक्टर किसी राज्य विद्युत बोर्ड को प्रदाय के लिए आशयित है तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के समुचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप से यह साबित हो जाता है कि उक्त केबिल या कंडक्टर का प्रदाय इस प्रकार से किया गया है ।

[सं० 217/75]

क० नरसिंहन, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975